159

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

R 153-I/17

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला जबलपुर

भोलेशंकर उर्फ भोला गौंड़ा उम्र 43 वर्ष
पिता स्व. श्री रामनाथ गौंड़
निवासी ग्राम सगड़ा महगवां
तहसील शहपुरा जिला जबलपुर ----- आवेदक

विरूद्ध

दिनांक 7-1-17 को श्री [illegible] द्वारा प्रस्तुत / 7-1-17

1– श्रीमती दीपिका पाण्डे उम्र 33 वर्ष
पति श्री दुर्गेश पाण्डे
निवासी 643 साहिब परिसर यादव कॉलोनी,
तहसील व जिला जबलपुर

2– म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर ----- अनावेदकगण

<u>न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 159/अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 19–9–16 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत निगरानी ।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि –

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के स्वामित्व एवं

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :- 153-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-2-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जिला जबलपुर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 159/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 19-9-16 से व्यथित होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक भोलेशंकर द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम बरबटी नं.बं. 73 प.ह.नं. 48 नया 63 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 374/1, 376, 377, 380 रकबा क्रमशः 0.31, 0.56, 0.63 एवं 0.69 हैक्टर को अनावेदक क्रमांक 1 गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया, जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि	

भोलेशंकर उर्फ भोला गौंड़ श्रीमती दीपिका पाण्डे आदि

R-153-I/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	अधिकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा क्रय की गई है । कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है कि आवेदक द्वारा बताया गया आधार समाधानकारक नहीं है । यह भी आधार लिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वार वर्ष 2013 एवं 2014 में क्रय की गई है तथा उसके द्वारा राजस्व अभिलेख में नाम 30.9.13 एवं 9.11.14 द्वारा दर्ज कराए गए हैं और भूमियां क्रय करने के तत्काल बाद गैर आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय किए जाने का आवेदन पेश किया जाना संदेहास्पद है । कलेक्टर का यह निष्कर्ष कि भूमि पर नाम दर्ज होने के तत्काल उपरांत भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता, विधिसम्मत नहीं है क्योंकि संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भूमि क्रय करने के उपरांत भूमि का विक्रय तत्काल नहीं किया जा सकता । भविष्य में कीमतों के बढ़ने की संभावना के आधार पर भी विक्रय से इंकार करना न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि था आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । कलेक्टर ने उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर कलेक्टर ने आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया हैं, वे आधार न्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है इस कारण कलेक्टर, जबलपुर का आलोच्य आदेश

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 153-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	स्थिर नहीं रखा जा सकता । परिणामतः यह कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 19-9-16 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम बरबटी नं.बं. 73 प.ह.नं. 48 नया 63 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 374/1, 376, 377, 380 रकबा क्रमशः 0.31, 0.56, 0.63 एवं 0.69 हैक्टर को गैर आदिवासी अनावेदक क्रमांक - 1 को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :- 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	